


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर ।
क्रमांक: ई/राजपत्रित/ट्रेनिंग/09/50 दिनांक : 28.1.09

-: संशोधित आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक: राजपत्रित/ट्रेनिंग/09/42 दि० 21.1.09 के क्र० सं० 17 पर उल्लेखित नाम डा० सुरेश सिंह चौहान, चि०अ०, प्रा०स्वा०केन्द्र, बर (अजमेर) के स्थान पर प्रा०स्वा०केन्द्र बर (राजसमंद) पढा जावें।



संयुक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज०जयपुर।

क्रमांक: ई/राजपत्रित/ट्रेनिंग/09/50


दिनांक : 28.1.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा०) मुख्यालय।
2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 5229 दिनांक 17.12.08 के क्रम में।
3. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज० जयपुर।

1. The Central Server Room, राजस्थान विभागात्त website स्व-स्वास्थ्य
पत्र प्रकाशक


28.1.09